<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 1001352012</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-135/2012</u> संस्थापित दिनांक-01.05.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

बिरुद्ध

01—शिवनारायण पुत्र नेपालिसह यादव आयु 26 वर्ष

02—नेपालिसह पुत्र बाबूलाल यादव आयु 53 वर्ष

03—मुन्नीबाई पत्नी नेपालिसह यादव आयु 50 वर्ष सभी

निवासीगण ग्राम सलोना, चंदेरी

अारोपीगण

राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

आरोपीगण द्वारा :— श्री पठान अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 10.10.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी भूरी यादव ने दिनांक 20.04.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका विवाह पांच वर्ष पूर्व शिवनारायण के साथ हुआ था तथा विवाह उपरांत उसके पित तथा सास एवं ससुर दहेज के लिए उसको प्रताडित करने लगे और छोटी—छोटी बातो पर ताने देने लगे। फरियादी के अनुसार आरोपीगण उसके साथ मारपीट करते थे और दो लाख रूपये की मांग करते थे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 135/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी द्व ारा बचाव साक्ष्य प्रस्तुत की गई।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 20.04.12 को 16:00 बजे ग्राम सलोना में फरियादिया भूरी यादव के पित एवं उसके नातेदार होते हुए घटना दिनांक एवं उसके पूर्व से लगातार उसके साथ शारीरिक एवं मानिसक रूप से दो लाख रूपये दहेज में मांगकर न देने पर प्रताडित कर कूरता कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 भूरी बाई अ.सा.2 नारायण, अ.सा.3 मलखान, अ.सा.4 परमाल, अ.सा.5 अतलवाई, अ.सा.6 जयपालिसह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में आरोपी शिवनारायण की साक्ष्य अंतर्गत धारा 315 द0प्र0स0 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

अभियोजन साक्षी 01 भूरीबाई ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी 07— शिवनारायण उसका पति है तथा नेपालसिह उसके ससुर है एवं मुन्नीवाई उसकी सास है। उक्त साक्षी के अनुसार शिवनारायण से उसका विवाह हुआ था तथा आरोपीगण ने विवाह के एक वर्ष तक उसे ठीक से रखा तथा उसके बाद परेशान करने लगे और दो लाख रूपये दहेज की मांग करने लगे। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त बात उसने अपने मायके में बताई थी तथा उसके बाद भी आरोपीगण उससे दो लाख रूपये की मांग करते थे और फिर आरोपीगण ने उसे मायके में छोड दिया था और लेने नहीं आए थे। अ.सा.१ के अनुसार उसने रिपोर्ट प्र0पी०१ लेखवद्ध कराई थी। अ.सा.२ नारायणसिंह ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी शिवनारायण उसका दामाद है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण उसकी पुत्री से जो कि मामले की फरियादिया है दहेज की मांग करते थे एवं इस बारे में उसे उसकी पुत्री ने बताया था। अ.सा.३ मलखान जो कि फरियादिया का भाई है उसने भी अपने कथन मे बताया है कि आरोपीगण उसकी वहिन से दो लाख रूपये की मांग करते थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण उसकी बहिन को कई बार मायके छोड गये तथा उसने थाने में उसकी बहिन की शादी का निमंत्रण पत्र प्र0पी02 सौपा था जिसके संबंध मे जप्ती पंचनामा प्र0पी03 के ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

08— अ.सा.4 परमाल ने अपने कथन में बताया है कि फरियादिया उसके काका की लड़की है तथा फरियादिया ने उसे बताया था कि आरोपीगण उससे दो लाख रूपये की मांग करते है और पैसे न देने पर उसे भगा दिया है। उक्त साक्षी के अनुसार एक बार वह भी फरियादिया को छोउने उसके ससुराल में गया था किंतु ससुराल वालो ने फिर से पैसों की मांग की थी। अ.सा.5 अतलवाई ने अपने कथन में बताया है कि

भूरीबाई उसकी लड़की है। उक्त साक्षी के अनुसार शादी के दो वर्ष बाद आरोपीगण उसकी लड़की से दो लाख रूपये की मांग करने लगे तथा शिवनारायण उसकी लड़की को मारता था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त बातें उसकी लड़की ने उसे बताई थी। उक्त साक्षी के अनुसार दूसरी बार भेजने पर उसकी लड़की को पुनः उसके ससुराल वालो ने परेशान किया और दो लाख रूपये की मांग की। अ.सा.6 जो कि मामले का विवेचक है उसने अपने कथन में बताया है कि जप्ती पंचनामा प्र0पी03 की कार्यवाही उसने की थी तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे।

09— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं उससे यह प्रकट हो रहा है कि फरियादिया ने स्पष्टरूप से अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने दो लाख रूपये के दहेज की मांग की थी उक्त तथ्य का अनुसर्मथन अ. सा.2 लगायत अ.सा.4 की साक्ष्य से हो रहा है अ.सा.2 लगायत अ.सा.4 ने स्पष्टरूप से अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने फरियादिया से दो लाख रूपये की दहेज की मांग की थी। फरियादिया ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 में लिखाया है कि आरोपीगण ने दो लाख रूपये की दहेज की मांग की थी इस प्रकार फरियादिया द्वारा जो कथन अभिलेख पर किये गये है वे प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 से मेल खाते है तथा उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। अन्य अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में भी ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन की कहानी संदेहास्पद है।

10— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न केवल तटस्थ विल्क अखण्डनीय भी रही है, जहां तक आरोपी की ओर से उसका बचाव साक्ष्य का प्रश्न इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ब.सा.1 शिवनारायण ने अपने कथन में बताया है कि उसकी पत्नी कहती है कि साथ में चलकर मायके रहो और उसने आने से भी मना कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से उसकी पत्नी को पुनः दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने के लिए न्यायालय में कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपी का यह

बचाव है कि उसकी पत्नी स्वयं मायके चली गई है किंतु आरोपी का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसके अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया से दो लाख रूपये की मांग दहेज के लिए की गई

- 11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादि की धारा 498ए के आरोप सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 12— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला–अशोकनगर

पुनश्च:-

अारोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पठान का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा उक्त अपराध दहेज प्रथा से संबंधित है, इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा दहेज की मांग जैसा गंभीर अपराध किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 498ए के अपराध में एक—एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 500—500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकम में आरोपीगण को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति शादी के कार्ड मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

17— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18— आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)